

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंट 110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा/XIV/14162/छठवां वेतन आयोग/परिपत्र/जिल्द-V
AN/XIV/14162/VIth CPC/Circular/VoI-V

दिनांक: 25/03/2013

सेवा मे,

सभी प्रधान/रक्षा लेखा नियंत्रक
All PCsDA/CsDA
(Through CGDA Mail Server)

विषय: 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गयी अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में।

Sub: Advance Increments granted to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. regarding.

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/2010-स्था.(वेतन -I) दिनांक 06/12/2012 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

A copy of Department of Personnel & Training, Estt (Pay I) Section OM No. 1/1/2010-Estt. (Pay-I) dated 06/12/2012 on the above subject is forwarded herewith for your information, guidance and necessary action please.

- ६० -
(चित्रा महेन्द्रन)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासन 4, 11 अनुभाग (स्थानीय)
2. लेखा परीक्षा- 1,2,4 (स्थानीय)
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)
4. ई डी पी सेन्टर (स्थानीय) ----- रक्षा लेखा महानियंत्रक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केन्द्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)
7. मास्टर नोट बुक (प्रशासन 14)

(चित्रा महेन्द्रन)
कृते रक्षा लेखा महानियंत्रक

सं. 1/1/2010-स्था.(वेतन-1)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, 06. Dec 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गयी अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07.12.2009 के इस विभाग के का. जा. 18/44/88-वेतन-1 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गयी अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनों से वेतन माना जाए ।


2. सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की अवधारणा शुरू की गई है । चूंकि इस समय वेतनवृद्धियों की कोई नियत दरें नहीं हैं, इसलिए, जिस रीति से अग्रिम वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) का अभिकलन किया जाना है, उस पर व्यय विभाग से परामर्श कर विचार किया गया है । दिनांक 1.1.2006 के पश्चात् 100/120 श.प्र.मि. की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को अग्रिम वेतनवृद्धियों के अनुदान को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा :-

क) इस विभाग के दिनांक 07.12.2009 के का.जा. सं. 18/44/89-स्था.(वेतन-1) में समाविष्ट अनुदेश के अनुसार, दिनांक 04.10.1975 के व्यय विभाग के का.जा. के संदर्भ में 100/120 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को प्रदान की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों को सभी प्रयोजनार्थ वेतन माना जाएगा तथा पिछले मामलों को भी तदनुसार विनियमित किया जाएगा । अतएव इन वेतनवृद्धियों को उन अधिकारियों के लिए संशोधित वेतन में निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाना था जो संशोधन-पूर्व वेतन में ऐसी वेतनवृद्धियाँ प्राप्त कर रहे थे । ऐसे मामलों में अब अग्रिम वेतनवृद्धियाँ पृथक घटक रूप में और जारी नहीं रहेगी ।

ख) सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अग्रिम वेतनवृद्धियाँ दिए जाने के लिए योग्य बनने वाले व्यक्तियों के संबंध में, अग्रिम वेतनवृद्धि की गणना परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को मूल वेतन के 3% की दर से वेतनवृद्धियाँ प्रदान करते हुए की जाएगी। दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ की गणना परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को मूल वेतन के 3% की दर से दो वेतनवृद्धियाँ प्रदान करते हुए की जाएगी। ऐसी अग्रिम वेतनवृद्धियों पर (ग) के अनुसार ध्यान में रखे जाने तक इस वेतनवृद्धि की राशि को मूल वेतन (वेतन बैंड+ग्रेड वेतन में वेतन) के अतिरिक्त पृथक घटक माना जाएगा।

ग) पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण अथवा एसीपी/एमएसीपी प्रदान किए जाने पर उच्चतर वेतनमान में रखे जाने पर अथवा वेतमान आदि के संशोधन के कारण वेतन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अग्रिम वेतनवृद्धियों पर विचार किये जाने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ पृथक घटक के रूप में जारी नहीं रहेगी क्योंकि इसका मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात् जारी किया जाएगा।



(मुकेश चतुर्वेदी)

उपसचिव, भारत सरकार

सं. 1/1/2010-स्था.(वेतन-1) दिनांक 06.12.12

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अनुरोध है कि वह इस कार्यालय ज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर "क्या नया है" तथा "स्थापना" के उप शीर्ष "वेतन" में भी अपलोड कर दें।
3. 25 अतिरिक्त प्रतियाँ,

1193-A

No.1/1/2010-Estt.(Pay-I)
Department of Personnel & Training
Estt (Pay I) Section

New Delhi, the 6th December, 2012.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Advance Increments granted to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. regarding.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No.18/44/88-Pay-I dated 07.12.2009 on the above subject which provides that the Advance Increments granted to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. are treated as pay for all purposes.

2. Consequent upon implementation of CCS (RP) Rules 2008, the concept of Pay Band & Grade Pay has been introduced. Since there are no fixed rates of increments now, the manner in which advance increment(s) are to be computed has been considered in consultation with the Department of Expenditure. The grant of advance increments to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying the speed test in shorthand at 100/120 w.p.m. after 1.1.2006 may be regulated as under:-

- a) In terms of the instructions contained in this Department's OM No.18/44/89-Estt (Pay I) dated 07.12.2009, the advance increments granted to Stenographers of Subordinate Offices on qualifying Speed Test in Shorthand at 100/120 w.p.m. in terms of Department of Expenditure OM dated 04.10.1975 are to be treated as pay for all purposes and the past cases are also to be regulated accordingly. These advance increments were therefore to be taken into account for fixation in the Revised Pay for those officials who were in receipt of such increments in the pre-revised pay. In such cases, the advance increments will no longer continue as a separate element.
- b) In respect of persons who become eligible for grant of advance increments consequent upon implementation of CCS (RP) Rules, 2008, the advance increment may be calculated by granting increment @ 3% of the Basic Pay on the date of passing of the test. Two advance increments may be calculated by granting two increments @ 3 % of the Basic Pay on the date of passing the test. The amount of this increment may be treated as a separate element in addition to the Basic Pay (Pay in the Pay Band + Grade Pay), till such advance increments are taken into account as per (c).
- c) Once the advance increments are taken into account for the purpose of pay fixation on promotion or being placed in a higher scale on grant of ACP/MACP or fixation of pay due to revision of pay scale etc., the advance increments will no longer be continued as a separate element as it will be merged with the basic pay.


4050
By: 21/12/12
Date: 21/12/12
No. 1/1/2010-Estt (Pay I) Section
1193-A

S.O. (G.P.I.)

21/12/12
1 cut. AS

3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders will be issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

4. Hindi Version will follow.




(Mukesh Chaturvedi)

Deputy Secretary to the Government of India.

No.1/1/2010-Estt.(Pay-I) dated the 06.12.12.

To

1. All Ministries/Departments.
2. NIC, DOP&T with a request to upload this OM on the Department's website in "What's new" and also in "Establishment" sub-head "Pay".
3. 25 Spare copies.



(Mukesh Chaturvedi)

Deputy Secretary to the Government of India.